न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– **श्री गजेन्द्र सिंह**

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का मनकसास,

बनाम

श्री ओमपाल सिंह पुत्र श्री भोमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मनकसास तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत घारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्याः– 07 / 2021 दिनांक 04.04.2022

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का मणकसास ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2077 में मौजा ग्राम मनकसास पटवार हल्का मणकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 1031 कुल रकबा 1.16 है0 किस्म गै0 मु0 नाला में से 0.14 है0 सरकारी भूमि पर श्री ओमपाल सिंह पुत्र श्री भोमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मनकसास ने अनाधिकृत रुप तारबंदी कर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिह शेखावत के अपना जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर प्रार्थी ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है, प्रार्थी का पूर्वजों से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त आराजी को अपने नाम से नियमन करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थीगण को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम मनकसास पटवार हल्का मणकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 1031 कुल रकबा 1.16 है0 किस्म गै0 मु0 नाला में से 0.14 है0 भूमि पर से श्री ओमपाल सिंह पुत्र श्री भोमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मनकसास को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.50 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 25 / –रुपये (अक्षरे रू पचीस मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह)
तहसीलदार उदयपुरवाटी